

पत्रांक-7/फा0-11-01/2017- 141 (7)9  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सूची संलग्न) ।

पटना, दिनांक 20-02-2018

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य- 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0002-राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210061010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्तों तथा अन्य मदों में कुल ₹1,14,33,697 /-( एक करोड़ चौदह लाख तैतीस हजार छः सौ संतान्चे रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-21(7)ब दिनांक-15.05.17, 35(7)ब दिनांक-20.07.17, 60(7)ब दिनांक-13.09.17, 96(7)ब दिनांक-01.11.17 एवं 120(7)ब दिनांक-27.12.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्तों तथा अन्य मदों में कुल ₹1,14,33,697 /-( एक करोड़ चौदह लाख तैतीस हजार छः सौ संतान्चे रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी गैर योजना व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0002-राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड-20-2210061010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आयोजना भिन्न में उपबन्धित राशि से तथा पुनर्विनियोग (राज्यादेश संख्या-203(7) दिनांक-09.02.2018 ) से प्राप्त राशि से की जायगी ।


4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे । इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।




1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
10. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्थापना कर्मियों का वेतन भुगतान प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,


  
20/2/18  
( सच्चिदानंद चौधरी )  
सरकार के विशेष सचिव  
रजि०

ज्ञापांक : 141(7)9

पटना, दिनांक : 20-02-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं प्र0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7 / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

  
20/2/18  
सरकार के विशेष सचिव  
रजि०

विवरण-I

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित फाईलेरिया नियंत्रण(विपत्र कोड 20-2210061010002) उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	किराया महशूल एवं कर (14-01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	मशीने एवं उपस्कर (52-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पटना	800000	800000	120000	75500	8000	14400	1817900	11000	0	0	0	0	0	1828900	36/3.2.18
2	जहानाबाद	210000	273000	31500	0	2100	3780	520380	0	0	0	0	0	0	520380	17/25.1.18
3	दरभंगा	1000000	1300000	128000	0	10000	18000	2456000	0	0	0	1000	0	0	2457000	40/27.1.18
4	भागलपुर	400000	520000	60000	0	4000	7200	991200	0	0	5000	0	15000	0	1011200	74/30.1.18
5	रोहतास	1100000	1585500	440000	0	20420	64400	3210320	0	0	0	0	0	0	3210320	05/6.1.18
6	गया	100000	114000	17000	0	1000	1800	233800	0	5000	5000	0	0	0	243800	20/19.1.18
7	मुंगेर	400000	520000	60000	0	4000	19200	1003200	0	15000	0	0	15000	0	1033200	220/20.10.17
8	बैशाली	300000	390000	45000	0	3000	14400	752400	0	0	0	0	10000	0	762400	19/3.2.18
9	भोजपुर	0	0	0	0	0	0	0	266497	0	0	0	0	0	266497	93/14.11.17
10	नालन्दा	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	70000	10000	10000	100000	180/13.9.17
	कुल	4310000	5502500	901500	75500	52520	143180	10985200	277497	25000	15000	71000	50000	10000	11433697	

(एक करोड़ चौदह लाख तैतीस हजार छः सौ संतान्चे) रू० मात्र

141(F)A  
20-02-18

सरकार के विशेष सचिव  
20/2/18

## उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002-01-01)	99300000	94990000	4310000	99300000	0
1	वेतन (0002-01-01)	130182000	124679500	5502500	130182000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	10579000	9677500	901500	10579000	0
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	433000	357500	75500	433000	0
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	1706000	1653480	52520	1706000	0
5	शिकिस्ता भत्ता (0002-01-06)	1973000	1829820	143180	1973000	0
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	244173000	233187800	10985200	244173000	0
	योग 20-2210.06.101.0002.01 वेतन		142598	277497	420095	79905
7	शिकिस्ता प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	500000	175000	25000	200000	0
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	200000	285000	15000	300000	0
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	300000	45000	0	45000	45000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	90000	25000	0	25000	25000
11	दूरभाष (0002-13-03)	50000	30000	0	30000	0
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	30000	51000	0	51000	49000
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	100000	66000	0	66000	0
14	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	66000	265000	71000	336000	214000
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	550000	0	0	0	100000
16	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	100000	350000	50000	400000	0
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	400000	0	0	0	1000
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	119000	10000	129000	71000
19	मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)	200000	234741398	11433697	246175095	584905
	कुल योग:-	246760000				

141(F)A

20-02-18

सरकार के विशेष सचिव

सतीश

20/2/18